

न्यायाधीशों द्वारा खुद को सुनवाई से अलग रखना

प्रलिस के लयः

न्यायाधीशों द्वारा खुद को सुनवाई से अलग रखना, सर्वोच्च न्यायालय

मेन्स के लयः

न्यायाधीशों द्वारा खुद को सुनवाई से अलग रखना और संबधति चतऱाँ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [सर्वोच्च न्यायालय](#) के एक न्यायाधीश ने वर्ष 2002 के दंगों के दौरान सामूहिक बलात्कार के लयि आजीवन कारावास की सजा पाए 11 लोगों को समय से पहले रहि करने के गुजरात सरकार के फैसले के खलिाफ बलिकसि बानो द्वारा दायर एक **रटि याचकिा** पर सुनवाई से खुद को अलग कर लयि।

न्यायाधीशों द्वारा खुद को सुनवाई से अलग रखना:

परचियः

- यह पीठासीन न्यायालय के अधकिारी या प्रशासनकि अधकिारी के बीच मतभेद के कारण आधकिारकि कार्रवाई जैसे **कानूनी कारयवाही में भाग लेने से अलग रहने से संबधति है।**

खुद को सुनवाई से अलग रखने संबधी नयिमः

- पुनरमूल्यांकन को नयितरति करने वाले कोई औपचारकि नयिम नहीं हैं, हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय के कई नरिणयों में इस मुद्दे पर बात की गई है।

- **रंजीत ठाकुर बनाम भारत संघ (1987)** मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि यह दूसरे पक्ष के मन में पक्षपात की संभावना की आशंका के प्रतीतर्कों को बल प्रदान करता है।

- न्यायालय को अपने सामने मौजूद पक्ष के तर्क को देखना चाहयि और तय करना चाहयि कि वह पक्षपाती है या नहीं।

खुद को सुनवाई से अलग रखने का कारणः

- जब हतियों का टकराव होता है तो एक न्यायाधीश मामले की सुनवाई से पीछे हट सकता है ताकि यह धारणा पैदा न हो कि उसने मामले का नरिणय करते समय पक्षपात कयिा है।

- हतियों का टकराव कई तरह से हो सकता है जैसे:

- मामले में शामिल किसी पक्ष के साथ पूर्व या व्यक्तगित संबध होना।
- किसी मामले में शामिल पक्षों में से एक के लयि पेश कयिावकीलों या गैर-वकीलों के साथ एकतरफा संचार।
- उच्च न्यायालय (High Court- HC) के फैसले के खलिाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की जाती है, जसि पर नरिणय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा तब लयिा गया जब वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो।
- किसी कंपनी के मामले में जसिमें उसके शेयर हैं जब तक कि उसने अपने हति का खुलासा नहीं कयिा है और इसमें कोई आपत्तति नहीं है।

- यह प्रथा **कानून की उचति प्रकरयिा** के कार्डनिल सिद्धांत से उत्पन्न होती है कि कोई भी अपने मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता है।

- कोई भी हति या हतियों का टकराव किसी मामले से हटने का आधार होगा क्योंकि एक न्यायाधीश का कर्तव्य है कि वह नषिपक्ष रूप से कार्य करे।

सुनवाई से अलग रहने की प्रकरयिा:

- सामान्यतः सुनवाई से अलग होने का फैसला न्यायाधीश खुद करता है क्योंकि यह हतियों के किसी भी संभावति टकराव का खुलासा करने के लयि न्यायाधीश के वविक पर नरिभर करता है।

- कई न्यायाधीश मामले में शामिल वकीलों को मौखकि रूप से खुद को अलग करने के कारणों की व्याख्या नहीं करते हैं। कुछ कालानुक्रमकि क्रम में कारण बताते हैं।

- कुछ परस्थितियों या मामलों में वकील या पक्ष इसे न्यायाधीश के सामने लाते हैं। एक बार अलग होने का अनुरोध किये जाने के बाद न्यायाधीश के पास इसे वापस लेने या न लेने का अधिकार होता है।
 - हालाँकि ऐसे कुछ उदाहरण हैं जहाँ न्यायाधीशों ने वरिध न देखते हुए भी सुनवाई से पीछे हटने से इनकार कर दिया, लेकिन केवल इसलिये कि ऐसी आशंका व्यक्त की गई थी, ऐसे कई मामले भी सामने आए हैं जहाँ न्यायाधीशों ने किसी मामले से पीछे हटने से इनकार कर दिया है।
- यदि कोई न्यायाधीश सुनवाई से अलग हो जाता है, तो मामले को एक नई पीठ को सौंपने के लिये मुख्य न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध किया जाता है।

न्यायाधीशों द्वारा स्वयं को सुनवाई से अलग रखने संबंधी चर्चाएँ:

- न्यायिक स्वतंत्रता को कम करना:
 - यह वादियों को अपनी पसंद की बेंच चुनने की अनुमति देता है, जो न्यायिक नष्पक्षता को कम करता है।
 - साथ ही इन मामलों से अलग होना न्यायाधीशों की स्वतंत्रता और नष्पक्षता दोनों को कमजोर करता है।
- वभिन्न व्याख्याएँ:
 - चूँकि यह निर्धारित करने के लिये कोई नयिम नहीं है कि न्यायाधीश इन मामलों में कब खुद को अलग कर सकते हैं, एक ही स्थिति की अलग-अलग व्याख्याएँ हैं।
- प्रक्रिया में देरी:
 - कुछ कार्य मुद्दों को उलझाने या कार्यवाही में बाधा डालने और देरी करने के इरादे से या किसी अन्य तरीके से न्याय के प्रारूप में बाधा डालने या इसे बाधित करने के इरादे से भी किये जाते हैं।

आगे की राह

- न्याय में परिवर्तन के एक उपकरण के रूप में तथा वादी की पसंद की बेंच चुनने के साधन के रूप में और न्यायिक कार्य से बचने हेतु एक साधन के रूप में पुनर्मूल्यांकन व्यवस्था का उपयोग नहीं किया जाना चाहिये।
- न्यायिक अधिकारियों को हर तरह के दबाव का वरिध करना चाहिये, चाहे वह कहीं से भी हो और यदि वे वचिलित हो जाते हैं तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता के साथ-साथ संवधान भी कमजोर हो जाएगा।
- इसलिये एक नयिम जो न्यायाधीशों की ओर से अलग होने की प्रक्रिया को निर्धारित करता है, जल्द-से-जल्द बनाया जाना चाहिये।

स्रोत: द हट्टि